Cabinet Committee has been constituted on Panchayati Raj to look into the various issues relating to Panchayati Raj;

(b) All Constitutional aspects will be, considered before any Bill is introduced;

(c) Government is committed *to* strengthen the Panchayati Raj system in the country.

**Reintroduotion of Nagar Palika Bill**

49. SHRI RAOOF VALIULLAH: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are considering to re-introduce the Nagar Palika Bill in Parliament, if so, what are the salient features of the Bill distinct from the earlier one;

(b) whether Government are committed to give power to the people by giving Constitutional status to the Nagar Palikas; and

(c) whether the Central-State relations in respect of financial devolution would be looked into afresh and Central and State subjects would be further divided for this purpose?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN); (a) to (c) Government is committed to devolve adequate financial and administrative powers to States to enable them to discharge their responsibilities to the people and is also committed *to* promote a genuine devolution of powers, functions and resources to Local bodies, within the federal structure of the Constitution, enabling fullest participation of the people in the developmental process, through appropriate administrative, financial and legislative measures.

**PAPERS LAID ON THE TABLE**

I. Report and Accounts of the various State Agro Industries Development Corporations and related papers.

n. Report and Accounts (for 12th October 1987 to 31st March, 1988) of the National Dairy Development Board, Anand, Gujarat and related Papers.

HI. Notifications of the Ministry of Agriculture (Department cf Agriculture and Cooperation)

**उप-प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल)** : श्रीमन् मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :–

I (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) :–

(i) (क) 1979–80 के वर्ष के लिए जम्मू एण्ड काश्मीर स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीनगर का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी **देखिये** स० एल० टी० 70/89]

(ii) (क) 1979–80 के वर्ष के लिए असम एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड गुवाहाटी का तेरहवां प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी **देखिये** सं० एल० टी० 69/89]

(iii) (क) 1982-83 के वर्ष के लिए मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गई। **देखिये** सं० एल० टी० 69/89]

(iv) (क) 1987-88 के वर्ष के लिए पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन चंडीगढ़ का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ख) कारपोरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। **देखिये** सं० एल० टी० 71/89]

II. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):-

(i) (क) 12 अक्तूबर, 1987 से 31 मार्च, 1988 तक की अवधि के लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द गुजरात का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा विवरण।

(ii) ऊपर II (i) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[पुस्तकालय में रखी गई। **देखिये** सं० एल० टी० 72/89]

III. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):--

(i) उर्वरक (नियंत्रण) (संशोधन) आदेश, 1989 को प्रकाशित करने वाले का० आ० सं० 673 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 1989।

(ii) उर्वरक (नियंत्रण) (चौथा संशोधन) आदेश, 1989 को प्रकाशित करने वाली का० आ० सं० 738 (अ), दिनांक 15 सितम्बर, 1989। [पुस्तकालय में रखी गई। **देखिये** सं० एल० टी० 66/89 (i) तथा (ii)

(iii) श्री आर० एम० सेठी, संयुक्त सचिव (उर्वरक), कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) को श्री जी० रंगा राव के स्थान पर उर्वरक नियंत्रक नियुक्त करने वाली का० आ० सं० 2426, दिनांक 30 सितम्बर, 1989। [पुस्तकालय में रखी गई (**देखिये** सं० एल० टी० 67/89)

(iv) 1 अक्तुबर, 1989 से 31 मार्च, 1990 (रबी मौसम 1989-90) की अवधि के दौरान उर्वरक के देशी उत्पादकों द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/जिन्स बोर्ड को की जाने वाली उर्वरकों की आपूर्ति को विनिर्दिष्ट करने वाली का० आ० सं० 1049 (अ), दिनांक 15 दिसम्बर, 1989। [पुस्तकालय में रखी गई **देखिये** सं० एल० टी० 66/89]